14-10-2020	पत्रावली पेश हुई। श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही उपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (प्रवीण सिंह पुत्र दान सिंह, जाति– राजपूत, निवासी– देलवाडा, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही, एफ.बी.ओ. एवं मालिक, बावर्ची रेस्टोरेन्ट, पीस पार्क, अचलगढ रोड़, ओरिया, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही) की ओर से उसके पिता श्री दान सिंह उपस्थित। प्रतिवादी संख्या–2 बाबुलाल चौधरी पुत्र उकाजी, निवासी– ब्रापू बस्ती, देलवाडा, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही, एफ.बी.ओ. एवं मालिक, फर्म सरेसी किराणा स्टोर, बस स्टेण्ड, देलवाडा, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही उपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 के पिता दानसिंह व प्रतिवादी संख्या–2 ने संयुक्त रुप से जवाब प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 12.11.2019 को खाद्य सुरक्षा ......लगातार	14/10/20

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.28 13:37:48 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा जिस रिफाईण्ड सोयाबिन तेल (सोया) का नमूना जांच हेतु लिया था एवं जो जांच में मिसब्राण्डेड व सब स्टेण्डर्ड पाया गया है उसके संबंध में निवेदन है कि यह नमूना बावर्ची रेस्टोरेन्ट, ओरिया से लिया गया है, नमूना लेते समय खरीद संबंधित बिल प्रस्तुत कर दिया था। नमूने से संबंधित रिफाईण्ड सोयाबिल तेल (सोया) सरेसी किराणा स्टोर, देलवाडा से सप्लाई किया गया था। मैं प्रतिवादी संख्या–2 बाबुलाल चौधरी बिल गुम हो जाने के कारण प्रस्तुत नही कर पाया इसके लिये क्षमा प्रार्थी हूँ भविष्य में इसका ध्यान रखूंगा एवं इस प्रकार की खाद्य सामग्री का बेचान नही करुंगा। मैं मेरी गलती/जुर्म स्वीकार करता हूँ। कृपया हमें इस प्रकरण से मुक्त करावे।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या–1 के पिता दान सिंह व प्रतिवादी संख्या–2 द्वारा उक्तानुसार गलती/जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादीगण की आज ही बहस सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी संख्या–1 अपने उक्त बावर्ची रेस्टोरेन्ट, पीस पार्क, अचलगढ रोड, ओरिया, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही में रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल (सोया) का उपयोग आम जनता के लिये खाना बनाने के सब्जी बनाकर बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 12.11.2019 को उक्त फर्म के निरीक्षण के दौरान उक्त खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल (सोया) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत नमूना जांच हेतु उक्त रेस्टोरेन्ट के अन्दर किचन में मौजूद पैक्ड टिन रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल (सोया) के 2x13-650 किलोग्राम पैक्ड टिन में से एक पैक्ड टिन खोलकर अच्छी तरह हिलामिलाकर उसमें से 1600 ग्राम रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल (सोया) को एक साफ, सूखे, खाली भिगोनें में कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाई करते हुए उक्त खाद्य पदार्थ के नमूनें को खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जांच हेतु भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट में मिथ्याछाप व आमनक स्तर का पाया गया है। प्रतिवादीगण ने मिथ्याछाप व आमनक स्तर का खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल (सोया) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित किया जावे। जबकि प्रतिवादी संख्या–1 के पिता ने अनुरोध किया कि उसके बेटे की फर्म बावर्ची रेस्टोरेन्ट से जो सोयाबीन ऑयल का जांच हेतु लिया था वह उसने प्रतिवादी संख्या–2 की फर्म से पैक्ड अवस्था में खरीदा व नमूना भी पैक्ड टिन को खोलकर लिया है, इसलिये प्रतिवादी संख्या–1 को इस मुकदमें से मुक्त किया जावे। जबकि प्रतिवादी संख्या–2 ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अनुरोध किया कि उक्त खाद्य पदार्थ की खरीद का बिल गुम हो गया है उसने उक्त खाद्य पदार्थ को न तो पैक किया व न ही वह निर्माता है, केवल उसकी फर्म द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ की सप्लाई की गई है, इसलिये कम जुर्माना कर प्रकरण का आज ही निस्तारण करावे।

......लगातार

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.28 13:37:48 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.32/2020	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 12.11.2019 को खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु प्रतिवादी प्रवीण सिंह पुत्र दानसिंह, जाति– राजपूत, निवासी– देलवाडा, माउन्ट आबू की फर्म बावर्ची रेस्टोरेन्ट, पीस पार्क, अचलगढ रोड, ओरिया, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही पर गये। उक्त फर्म बावर्ची रेस्टोरेन्ट, पीस पार्क, अचलगढ रोड, ओरिया, माउन्ट आबू में खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से प्रतिवादी प्रवीण सिंह उपस्थित मिले, जो रेस्टोरेन्ट में खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल (सोया) का उपयोग आम जनता के लिये सब्जी बनाकर बनाकर बेचने में करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त रेस्टोरेन्ट के निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल (सोया) के अमानक होने का शक होने पर रेस्टोरेन्ट के अन्दर किचन में रखे हुए खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल (सोया) के 2x13.650 Kg पैक्ड टिन में से एक पैक टिन खोलकर उसको अच्छी तरह हिलामिलाकर एक रुप किया एवं इस एकरुप किये गये खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल (सोया) में से 1600 ग्राम रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल (सोया) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कीमतन नमूना जांच हेतु क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए उक्त खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड के नमूनें को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./982/Act/2019/1035 दिनांक 27.11.2019 के अनुसार मिथ्याछाप (Misbranded) व अमानक स्तर का पाया गया है। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल (सोया) के पैकिंग लेबल पर निर्माता का पता तो अंकित किया हुआ है पर पूर्ण पता अंकित किया हुआ नही पाया गया। साथ ही, उक्त जांच रिपोर्ट में गुणवत्ता मानक बिन्दु क्र.सं. Iodine value की निर्धारित मात्रा 120.0 से 141.10 के स्थान पर 87.95 पाई गई है। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि उक्त खाद्य पदार्थ का निर्माण व पैकिंग प्रतिवादी संख्या–2 द्वारा नही की गई है। प्रतिवादी संख्या–2 ने केवल उक्त खाद्य पदार्थ को पैकिंग अवस्था में ही प्रतिवादी संख्या–1 की फर्म बावर्ची रेस्टोरेन्ट को सप्लाई किया गया है। प्रकरण में यह भी स्पष्ट है कि उक्त खाद्य पदार्थ के पैकिंग टिन को खोलकर पैकिंग टिन में से ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूना जांच हेतु क्रय किया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी ने उक्त खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल (सोया) के क्रय का बिल प्रस्तुत नही किया है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी बाबुलाल चौधरी द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) व आमनक स्तर का खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड सोयाबीन ऑयल (सोया) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

.....लगातार

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.28 13:37:48 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 32/2020	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
	अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 80 के तहत प्रतिवादी संख्या–1 को दोषमुक्त किया जाकर उक्त अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 व 52 के तहत प्रतिवादी बाबुलाल चौधरी पुत्र उकाजी, निवासी– बापू बस्ती, देलवाडा, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म सरेसी किराणा स्टोर, बस स्टेण्ड, देलवाडा, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 3,000/– (अक्षरे रुपये तीन हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी बाबुलाल चौधरी पुत्र उकाजी, निवासी– बापू बस्ती, देलवाडा, माउन्ट आबू, जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि यह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 10 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 29.10.2020 को पेश हो। 14/10/2020 (गितेश श्री मालवीया) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही	

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2020.12.28 13:37:48 IST
Reason: SelfAttested